

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3,
SUB-SECTION (ii)]**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

Notification

New Delhi, the 31st May, 2010

INCOME-TAX

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (6th Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2010.

2. In the Income-tax Rules, 1962, -

(a) for rules 30, 31, 31A and 31 AA the following rules shall be substituted, namely:-

"Time and mode of payment to Government account of tax deducted at source or tax paid under sub-section (1A) of section 192.

30.

(1) All sums deducted in accordance with the provisions of Chapter XVII-B by an office of the Government shall be paid to the credit of the Central Government -

- (a) on the same day where the tax is paid without production of an income-tax challan; and
- (b) on or before seven days from the end of the month in which the deduction is made or income-tax is due under sub-section (1A) of section 192, where tax is paid accompanied by an income-tax challan.

(2) All sums deducted in accordance with the provisions of Chapter XVII-B by deductors other than an office of the Government shall be paid to the credit of the Central Government -

- (a) on or before 30th day of April where the income or amount is credited or paid in the month of March; and
- (b) in any other case, on or before seven days from the end of the month in which-
 - (i) the deduction is made; or
 - (ii) income-tax is due under sub-section (1A) of section 192.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), in special cases, the Assessing Officer may, with the prior approval of the Joint Commissioner, permit quarterly

payment of the tax deducted under section 192 or section 194A or section 194D or section 194H for the quarters of the financial year specified to in column (2) of the Table below by the date referred to in column (3) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Quarter of the Financial Year ended on	Date for quarterly payment
(1)	(2)	(3)
1.	30 th June	7 th July
2.	30 th September	7 th October
3.	31 st December	7 th January
4.	31 st March	30 th April.

B.- Mode of payment

- (4) In the case of an office of the Government, where tax has been paid to the credit of the Central Government without the production of a challan, the Pay and Accounts Officer or the Treasury Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person by whatever name called to whom the deductor reports the tax so deducted and who is responsible for crediting such sum to the credit of the Central Government, shall-
- submit a statement in Form No. 24G within ten days from the end of the month to the agency authorised by the Director General of Income-tax (Systems) in respect of tax deducted by the deductors and reported to him for that month; and
 - intimate the number (hereinafter referred to as the Book Identification Number) generated by the agency to each of the deductors in respect of whom the sum deducted has been credited.
- (5) For the purpose of sub-rule (4), the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data, and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner so specified.
- (6) (i) Where tax has been deposited accompanied by an income-tax challan, the amount of tax so deducted or collected shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it within the time specified in clause (b) of sub-rule (1) or in sub-rule (2) or in sub-rule (3) into any branch of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank;
- (ii) Where tax is to be deposited in accordance with clause (i), by persons referred to in sub-rule (1) of rule 125, the amount deducted shall be electronically remitted into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank accompanied by an electronic income-tax challan.
- (7) For the purpose of this rule, the amount shall be construed as electronically remitted to the Reserve Bank of India or to the State Bank of India or to any authorised bank, if the amount is remitted by way of-

- (a) internet banking facility of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank; or
- (b) debit card.

(8) Where tax is deducted before the 1st day of April, 2010, the provisions of this rule shall apply as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.

Certificate of tax deducted at source to be furnished under section 203.

31. (1) The certificate of deduction of tax at source by any person in accordance with Chapter XVII-B or the certificate of payment of tax by the employer on behalf of the employee under sub-section (1A) of section 192 shall be in-

- (a) Form No. 16, if the deduction or payment of tax is under section 192; and
- (b) Form No. 16A if the deduction is under any other provision of Chapter XVII-B.

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall specify:-

- (a) valid permanent account number (PAN) of the deductee;
- (b) valid tax deduction and collection account number (TAN) of the deductor;
- (c) (i) book identification number or numbers where deposit of tax deducted is without production of challan in case of an office of the Government;
(ii) challan identification number or numbers in case of payment through bank.
- (d) (i) receipt number of the relevant quarterly statement of tax deducted at source which is furnished in accordance with the provisions of rule 31A;
(ii) receipt numbers of all the relevant quarterly statements in case the statement referred to in clause (i) is for tax deducted at source from income chargeable under the head "Salaries".

(3) The certificates in Forms specified in column (2) of the Table below shall be furnished to the employee or the payee, as the case may be, as per the periodicity specified in the corresponding entry in column (3) and by the time specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Form No.	Periodicity	Due date
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16	Annual	By 31 st day of May of the financial year immediately following the financial year in which the income was paid and tax deducted
2.	16A	Quarterly	Within fifteen days from the due date for furnishing the statement of tax deducted at source under rule 31A.

(4) If an assessee is employed by more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers and Part B may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.

(5) The deductor may issue a duplicate certificate in Form No. 16 or Form No. 16A if the deductee has lost the original certificate so issued and makes a request for issuance of a duplicate certificate and such duplicate certificate is certified as duplicate by the deductor.

(6) (i) Where a certificate is to be furnished in Form No. 16, the deductor may, at his option, use digital signatures to authenticate such certificates.

- (ii) In case of certificates issued under clause (i), the deductor shall ensure that-
- (a) the provisions of sub-rule (2) are complied with;
 - (b) once the certificate is digitally signed, the contents of the certificates are not amenable to change; and
 - (c) the certificates have a control number and a log of such certificates is maintained by the deductor.

(7) Where a certificate is to be furnished for tax deducted before the 1st day of April, 2010, it shall be furnished in the Form in accordance with the provisions of the rules as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.

Explanation.- For the purpose of this rule and rule 37D, challan identification number means the number comprising the Basic Statistical Returns (BSR) Code of the Bank branch where the tax has been deposited, the date on which the tax has been deposited and challan serial number given by the bank.

Statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200.

31A. (1) Every person responsible for deduction of tax under Chapter XVII-B, shall, in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 200, deliver, or cause to be delivered, the following quarterly statements to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Director General of Income-tax (Systems), namely:-

- (a) Statement of deduction of tax under section 192 in Form No. 24Q;
- (b) Statement of deduction of tax under sections 193 to 196D in-
 - (i) Form No. 27Q in respect of the deductee who is a non-resident not being a company or a foreign company or resident but not ordinarily resident; and
 - (ii) Form No. 26Q in respect of all other deductees.

(2) Statements referred to in sub-rule (1) for the quarter of the financial year ending with the date specified in column (2) of the Table below shall be furnished by the due date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Date of ending of the quarter of the financial year		Due date
(1)	(2)		(3)
1.	30 th June	15 th July of the financial year	
2.	30 th September	15 th October of the financial year	
3.	31 st December	15 th January of the financial year	
4.	31 st March	15 th May of the financial year immediately following the financial year in which deduction is made	

(3) (i) The statements referred to in sub-rule (1) may be furnished in any of the following manners, namely:-

- (a) furnishing the statement in paper form;
- (b) furnishing the statement electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) alongwith the verification of the statement in Form 27A.

(ii) Where,-

- (a) the deductor is an office of the Government; or
- (b) the deductor is the principal officer of a company; or
- (c) the deductor is a person who is required to get his accounts audited under section 44AB in the immediately preceding financial year; or
- (d) the number of deductee's records in a statement for any quarter of the financial year are twenty or more,

the deductor shall furnish the statement in the manner specified in item (b) of clause (i).

(iii) Where deductor is a person other than the person referred to in clause (ii), the statements referred to in sub-rule (1) may, at his option, be delivered or cause to be delivered in the manner specified in item (b) of clause (i).

- (4) The deductor at the time of preparing statements of tax deducted shall,-
- (i) quote his tax deduction and collection account number (TAN) in the statement;
 - (ii) quote his permanent account number (PAN) in the statement except in the case where the deductor is an office of the Government;
 - (iii) quote the permanent account number of all deductees;
 - (iv) furnish particulars of the tax paid to the Central Government including book identification number or challan identification number, as the case may be.

(5) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing of the statements and shall be

responsible for the day to day administration in relation to furnishing of the statements in the manner so specified.

(6) Where a statement of tax deducted at source is to be furnished for tax deducted before the 1st day of April, 2010, the provisions of this rule and rule 37A shall apply as they stood immediately before their substitution or omission by the Income-tax (6th Amendment) Rules, 2010.

Statement of collection of tax under proviso to sub-section (3) of section 206C.

31AA. (1) Every collector, shall, in accordance with the provisions of the proviso to sub-section (3) of section 206C, deliver, or cause to be delivered, to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Director General of Income-tax (Systems), a quarterly statement in Form No. 27EQ.

(2) Statements referred to in sub-rule (1) for the quarter of the financial year ending with the date specified in column (2) of the Table below shall be furnished by the due date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

Sl. No.	Quarter of the financial year ended	Due date
(1)	(2)	(3)
1.	30 th June	15 th July of the financial year
2.	30 th September	15 th October of the financial year
3.	31 st December	15 th January of the financial year
4.	31 st March	15 th May of the financial year immediately following the financial year in which collection is made

(3) (i) The statement referred to in sub-rule (1) may be furnished in any of the following manners, namely:-

- (a) furnishing the statement in paper form;
- (b) furnishing the statement electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) alongwith the verification of the statement in Form 27A.

(ii) Where,-

- (a) the collector is an office of the Government; or
- (b) the collector is the principal officer of a company; or
- (c) the collector is a person who is required to get his accounts audited under section 44AB in the immediately preceding financial year;
- (d) the number of collectee's records in a statement for any quarter of the financial year are twenty or more,

the collector shall furnish the statement in the manner specified in item (b) of clause (i).

(iv) Where the collector is a person other than the person referred to in clause (ii), the statement referred to in sub-rule (1) may, at his option, be delivered or cause to be delivered in the manner specified in item (b) of clause (i).

(4) The collector at the time of preparing statements of tax collected shall,-
(i) quote his tax deduction and collection account number (TAN) in the statement;
(ii) quote his permanent account number (PAN) in the statement except in the case where the collector is an office of the Government;
(iii) quote the permanent account number of all collectees;
(iv) furnish particulars of the tax paid to the Central Government including book identification number or challan identification number, as the case may be.

(5) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing of the statements and shall be responsible for the day to day administration in relation to furnishing of the statements in the manner so specified.

(6) Where a statement of tax collected at source is to be furnished for tax collected before the 1st day of April, 2010, the provisions of this rule shall apply as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.”;

(b) rule 37A shall be omitted;

(c) for rules 37CA and 37D, the following rules shall be substituted, namely:-

“Time and mode of payment to Government account of tax collected at source under section 206C.

37CA.

(1) All sums collected in accordance with the provisions of sub-section (1) or sub-section (1C) of section 206C by an office of the Government shall be paid to the credit of the Central Government -

(a) on the same day where the tax is so paid without production of an income-tax challan; and

(b) on or before seven days from the end of the month in which the collection is made, where tax is paid accompanied by an income-tax challan.

(2) All sums collected in accordance with the provisions of sub-section (1) or sub-section (1C) of section 206C by collectors other than an office of the Government shall be paid to the credit of the Central Government within one week from the last day of the month in which the collection is made.

- (3) In the case of an office of the Government, where tax has been paid to the credit of the Central Government without the production of a challan, the Pay and Accounts Officer or the Treasury Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person by whatever name called to whom the collector reports the tax so collected and who is responsible for crediting such sum to the credit of the Central Government, shall-
- (a) submit a statement in Form No. 24G within ten days from the end of the month to the agency authorised by the Director General of Income-tax (Systems) in respect of tax collected by the collectors and reported to him for that month; and
 - (b) intimate the number (hereinafter referred to as the Book Identification Number) generated by the agency to each of the collectors in respect of whom the sum collected has been credited.
- (4) For the purpose of sub-rule (3), the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data, and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner so specified.
- (5) (i) Where tax has been deposited accompanied by an income-tax challan, the tax collected under sub-section (1) or sub-section (1C) of section 206C shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it within the time specified in clause (b) of sub-rule (1) or in sub-rule (2) into any branch of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank.
- (ii) Where tax is to be deposited in accordance with clause (i), by persons referred to in sub-rule (1) of rule 125, the amount collected shall be electronically remitted into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank accompanied by an electronic income-tax challan.
- (6) For the purpose of this rule, the amount shall be construed as electronically remitted to the Reserve Bank of India or to the State Bank of India or to any authorised bank, if the amount is remitted by way of-
- (a) internet banking facility of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank; or
 - (b) debit card.
- (7) Where tax is collected before the 1st day of April, 2010, the provisions of this rule shall apply as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.

Certificate of tax collected at source under section 206C(5).

- 37D.** (1) The certificate of collection of tax at source under sub-section (5) of section 206C to be furnished by the collector shall be in Form 27D.

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall specify:-

- (a) valid permanent account number (PAN) of the collectee;
- (b) valid tax deduction and collection account number (TAN) of the collector;
- (c) (i) book identification number or numbers where deposit of tax collected is without production of challan in case of an office of the Government;
(ii) challan identification number or numbers in case of payment through bank;
- (d) receipt number of the relevant quarterly statement of tax collected at source which is furnished in accordance with the provisions of rule 31AA.

(3) The certificate in the Form No. 27D referred to in sub-rule (1) shall be furnished to the collectee within fifteen days from the due date for furnishing the statement of tax collected at source specified under sub-rule (2) of rule 31AA.

(4) The collector may issue a duplicate certificate in Form No. 27D if the collectee has lost the original certificate so issued and makes a request for issuance of a duplicate certificate and such duplicate certificate is certified as duplicate by the collector.

(5) Where a certificate is to be furnished for tax collected before the 1st day of April, 2010, it shall be furnished in the Form in accordance with the provisions of the rules as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010. ”;

(d) in Appendix-II,-

(i) for Form. No. 16 and Form No.16A, the following Forms shall be substituted, namely:-

"FORM NO.16			
[See rule 31(1)(a)]			
PART A			
Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for Tax deducted at source on Salary			
Name and address of the Employer		Name and Designation of the Employee	
PAN of the Deductor	TAN of the Deductor	PAN of the Employee	
CIT(TDS)		Assessment Year	Period
Address.....			From
City.....Pin code.....			To
Summary of tax deducted at source			
Quarter	Receipt Numbers of original statements of TDS under sub-section (3) of section 200.	Amount of tax deducted in respect of the employee	Amount of tax deposited/remitted in respect of the employee
Quarter 1			
Quarter 2			
Quarter 3			
Quarter 4			
Total			
PART B (Refer Note 1)			
Details of Salary paid and any other income and tax deducted			
1	Gross Salary	Rs	
	(a) Salary as per provisions contained in sec.17(1)	Rs	
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) (as per Form No.12BB, wherever applicable)	Rs	
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3)(as per Form No.12BB, wherever applicable)	Rs.	
	(d) Total	Rs	
	Less: Allowance to the extent exempt u/s 10		
2	Allowance	Rs.	
		Rs.	
		Rs	
		Rs	

3	Balance(1-2)		Rs							
4	Deductions :									
	(a) Entertainment allowance	Rs.								
	(b) Tax on employment	Rs.								
5	Aggregate of 4(a) and (b)		Rs							
6	Income chargeable under the head 'salaries' (3-5)			Rs						
7	Add: Any other income reported by the employee									
	<table border="1"> <tr> <td>Income</td> <td>Rs.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Income	Rs.						Rs	
Income	Rs.									
8	Gross total income (6+7)			Rs						
9	Deductions under Chapter VIA									
	(A) sections 80C, 80CCC and 80CCD									
	(a) section 80C		Gross Amount	Deductible amount						
	(i)		Rs							
	(ii)		Rs							
	(iii)		Rs							
	(iv)		Rs							
	(v)									
	(vi)									
	(vii)		Rs.	Rs.						
	(b) section 80CCC		Rs.	Rs.						
	(c) Section 80CCD									
	Note: 1. Aggregate amount deductible under section 80C shall not exceed one lakh rupees.									
	2. Aggregate amount deductible under the three sections, i.e., 80C, 80CCC and 80CCD shall not exceed one lakh rupees.									
	(B) Other sections (e.g. 80E, 80G etc.) under Chapter VI-A.									
		Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount						
	(i) section.....	Rs.	Rs.	Rs.						
	(ii) section.....	Rs.	Rs.	Rs.						
	(iii) section.....	Rs.	Rs.	Rs.						
	(iv) section.....	Rs.	Rs.	Rs.						
	(v) section.....	Rs.	Rs.	Rs.						

10	Aggregate of deductible amount under Chapter VIA		Rs
11	Total Income (8-10)		Rs
12	Tax on total income		Rs
13	Education cess @ 3% (on tax computed at S. No. 12)		Rs.
14	Tax Payable (12+13)		Rs.
15	Less: Relief under section 89 (attach details)		Rs
16	Tax payable (14-15)		Rs.
Verification			
I,, son/daughter ofworking in the capacity of (designation) do hereby certify that a sum of Rs.....[Rs.(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.			
Place			
Date		Signature of person responsible for deduction of tax	
Designation:		Full Name:	

Notes:

1. If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers. Part B may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
2. Government deductors to enclose Annexure-A if tax is paid without production of an income-tax challan and Annexure-B if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
3. Non-Government deductors to enclose Annexure-B.
4. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
5. This Form shall be applicable only in respect of tax deducted on or after 1st day of April, 2010.

DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ENTRY

[illegible]

1. In the column for TDS, give total amount for TDS, Surcharge (if applicable) and education cess.

DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN

[illegible]

1. In the column for TDS, give total amount for TDS, Surcharge (if applicable) and education cess.

FORM NO.16A												
[See rule 31(1)(b)]												
Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for Tax deducted at source												
Name and address of the Deductor						Name and address of the Deductee						
PAN of the Deductor				TAN of the Deductor				PAN of the Deductee				
CIT(TDS)						Assessment Year			Period			
Address.....									From		To	
City.....Pin code.....												
Summary of payment												
Amount paid/credited				Nature of payment				Date of payment/credit				
Summary of tax deducted at source in respect of deductee												
Quarter		Receipt Numbers of original quarterly statements of TDS under sub-section (3) of section 200				Amount of tax deducted in respect of the deductee				Amount of tax deposited/remitted in respect of the deductee		
I. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN (The Deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)												
S. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Book identification number (BIN)										
		Receipt numbers of Form No.24G				DDO Sequence Number in the Book Adjustment Mini Statement				Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)		
Total												
II. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN (The Deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)												
S. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Challan identification number (CIN)										

(Rs.)	BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number
Total			
Verification			
<p>I,, son/daughter of working in the capacity of (designation) do hereby certify that a sum of Rs.....[Rs.(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.</p>			
Place			
Date		Signature of person responsible for deduction of tax	
Designation:		Full Name:	

Notes:

1. Government deductors to fill information in item I if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
2. Non-Government deductors to fill information in item II.
3. In item I and II, in the column for TDS, give total amount for TDS, Surcharge (if applicable) and education cess.
4. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
5. This Form shall be applicable only in respect of tax deducted on or after 1st day of April, 2010.”;

(ii) after Form No. 24, the following Form shall be inserted, namely:-


Details of Transfer voucher for the month ending (month)mm (year) yyyy

Accounts Officer Identification Number (AIN)
Account office name*
Accounts Office Address*
Address 1*
Address 3
City*
PIN code*
STD code-Phone No*

Page 10 of 10

Figure 1: A schematic diagram of a 1D lattice with N sites. The lattice is represented by a horizontal line with N discrete sites. The leftmost site is labeled '1' and the rightmost site is labeled 'N'. The sites are connected by horizontal lines, representing the lattice structure. The diagram is labeled 'Figure 1' at the bottom.

Responsible persons name*
Responsible persons designation*
Responsible persons Address*
Address 1*
Address 3
City*
PIN code*
STD code- Phone No*



☐ Mobile no. of the responsible person

Has the statement been filed earlier for this Month (Yes/No)
If answer to above is "Yes", then Provisional receipt no of original statement

State Name

--	--

5a. ODO wise details of TDS-Salary (24Q)

[illegible]

5b Total TDS/TCS amount transferred for TDS-Non-Salary (26Q)

S.No.*	DDO registration no (provided by Central Record Keeping Agency)	DDO code	TAN of DDO*	Name of DDO*	Address 1*	Address 2	Address 3	Address 4	City*	State*	PIN Code*	Email id	Tax Deducted/Collected (Sum of BaS_TAX,SUR,EDU_C ESS)*	Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/Pr CCA)*
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Total														

5c Total TDS/TCS amount transferred for TDS-Non-Resident (27Q)

S.No.*	DDO registration no (provided by Central Record Keeping Agency)	DDO code	TAN of DDO*	Name of DDO*	Address 1*	Address 2	Address 3	Address 4	City*	State*	PIN Code*	Email id	Tax Deducted/Collected (Sum of BaS_TAX,SUR,EDU_C ESS)*	Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/Pr CCA)*
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
Total														

5d Total TDS/TCS amount transferred for TCS (27EQ)

S.No.*	DDO registration no (provided by Central Record Keeping Agency)	DDO code	TAN of DDO*	Name of DDO*	Address 1*	Address 2	Address 3	Address 4	City*	State*	PIN Code*	Email id	Tax Deducted/Collected (Sum of BaS_TAX,SUR,EDU_C ESS)*	Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/Pr CCA)*
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Total														

6 Statement Summary:

Count of Distinct DDOs	
No of entries in item 5	
Total TDS/TCS amount reported	
Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/Pr CCA)	

VERIFICATION

_____ hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place:

Date:

Signature of the person responsible (see note 1)

Notes

1. Responsible person is the person made responsible in the office of Pay and Accounts Officer (PAO) or Treasury Officer(TO) or Cheque Drawing and Disbursing Officer (CDDO) for filing of this form.
2. Payments pertaining to all the nature of payment TDS-Salary(24Q)/TDS-Non-Salary(26Q)/TDS-Non-Resident(27Q)/TCS(27EQ) to be furnished in same form.
3. Furnishing of either DDO registration no. or DDO code is mandatory.
4. There can be maximum four entries (Nature of deduction wise) per DDO in every month.
5. This form shall be applicable only in respect of tax deducted/collected on or after 1st April, 2010.
6. The fields marked as * are mandatory.
7. Details of Ministry

Sr. No.	Ministry
1	Civil
2	Railway
3	Defence
4	Telecommunication
5	Post

6 Details of Sub Ministry(In case of Civil Ministry)

Sr. No.	Sub Ministry name
1	Agriculture
2	Atomic Energy
3	Fertilizers
4	Chemicals and Petrochemicals
5	Civil Aviation and Tourism
6	Coal
7	Consumer Affairs, Food and Public Distribution
8	Commerce and Textiles
9	Environment and Forests and Ministry of Earth Science
10	External Affairs and Overseas Indian Affairs
11	Finance
12	Central Board of Direct Taxes
13	Central Board of Excise and Customs
14	Controller of Aid Accounts and Audit
15	Central Pension Accounting Office
16	Food Processing Industries
17	Health and Family Welfare
18	Home Affairs and Development of North Eastern Region
19	Human Resource Development
20	Industry
21	Information and Broadcasting
22	Telecommunication and Information Technology
23	Labour
24	Law and Justice and Company Affairs
25	Personnel, Public Grievances and Pensions
26	Petroleum and Natural Gas
27	Planning, Statistics and Programme Implementation
28	Power

Sr. No.	Sub Ministry name
29	New and Renewable Energy
30	Rural Development and Panchayati Raj
31	Science And Technology
32	Space
33	Steel
34	Mines
35	Social Justice and Empowerment
36	Tribal Affairs
37	D/o Commerce (Supply Division)
38	Shipping and Road Transport and Highways
39	Urban Development, Urban Employment and Poverty Alleviation
40	Water Resources
41	President's Secretariat
42	Lok Sabha Secretariat
43	Rajya Sabha secretariat
44	Election Commission
45	Andaman and Nicobar Islands Administration
46	Chandigarh Administration
47	Dadra and Nagar Haveli
48	Goa, Daman and Diu
49	Lakshadweep
50	Pondicherry Administration
51	Pay and Accounts Officers (Audit)
52	Non-conventional energy sources
53	Government of NCT of Delhi
54	Others

7 Details of State

Sr. No.	State Name
1	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
2	ANDHRA PRADESH
3	ARUNACHAL PRADESH
4	ASSAM
5	BIHAR
6	CHANDIGARH
7	CHATTISHGARH
8	DADRA & NAGAR HAVELI
9	DAMAN & DIU
10	DELHI
11	GOA
12	GUJARAT
13	HARYANA
14	HIMACHAL PRADESH
15	JAMMU & KASHMIR
16	JHARKHAND
17	KARNATAKA
18	KERALA
19	LAKSHWDEEP
20	MADHYA PRADESH
21	MAHARASHTRA
22	MANIPUR
23	MEGHALAYA
24	MIZORAM
25	NAGALAND
26	ORISSA
27	PONDICHERRY
28	PUNJAB
29	RAJASTHAN
30	SIKKIM
31	TAMILNADU
32	TRIPURA
33	UTTAR PRADESH
34	UTTARANCHAL
35	WEST BENGAL

(iii) for Form No. 27D, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM NO.27D															
[See rule 37D]															
Certificate under section 206C of the Income-tax Act, 1961 for Tax collected at source															
Name and address of the Collector								Name and address of the Collectee							
PAN of the Collector				TAN of the Collector								PAN of the Collectee			
CIT(TDS)								Assessment Year				Period			
Address.....															
City.....Pin code.....															
Summary of receipt															
Amount received/debited				Nature of receipt				Date of receipt/debit							
Summary of tax collected at source															
Quarter		Receipt Number of original quarterly statements of TCS under proviso to sub-section (3) of section 206C				Amount of tax collected in respect of the collectee				Amount of tax deposited/remitted in respect of the collectee					
I. DETAILS OF TAX COLLECTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ENTRY (The Collector to provide payment wise details of tax collected and deposited with respect to the collectee)															
S. No.		Tax Deposited in respect of the collectee (Rs.)		Book identification number (BIN)											
				BAMS Number given by PAO/CDDO/TO						DDO Sequence Number in the Book Adjustment Mini Statement				Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	
Total															
II. DETAILS OF TAX COLLECTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN (The Collector to provide payment wise details of tax collected and deposited with respect to the collectee)															

S. No.	Tax Deposited in respect of the collectee (Rs.)	Challan identification number (CIN)																		
		BSR Code of the Bank Branch				Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)				Challan Serial Number										
Total																				
Verification																				
I,, son/daughter ofworking in the capacity of (designation) do hereby certify that a sum of Rs.....[Rs.(in words)] has been collected at source and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TCS statements, TCS deposited and other available records.																				
Place																				
Date					Signature of person responsible for collection of tax															
Designation:					Full Name:															

Notes:

1. Government collectors to fill information in item I if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
2. Non-Government collectors to fill information in item II.
3. In item I and II, in the column for TCS, give total amount for TCS, Surcharge (if applicable) and education cess.
4. The collector shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TCS statements of the assessee.
5. This Form shall be applicable only in respect of tax collected on or after 1st day of April, 2010."

Notification No. 41/2010

[F.No 142/27/2009-SO(TPL)]



(Rajesh Kumar Bhoot)

Director (Tax Policy And Legislation)

Note. The principal rules were published vide, Notification No. 969(E), dated the 26th March 1962 and last amended by the Income-tax(5th Amendment) Rules, 2010 vide Notification S.O.1211(E) dated 21st May,2010.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 मई, 2010

आय-कर

का.आ. (अ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दृष्टव्य संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2010 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

(क) नियम 30, 31, 31क और 31कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“खोल पर काटे गए कर या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर के सरकारी खाते में जमा संदाय करने का समय और ढंग।

30. (1) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में -

(ज) जहां किसी आय-कर चालान को पेश किए बिना कर संदत्त किया जाता है, उसी दिन संदत्त की जाएगी; और

(ख) जहां, किसी आय-कर चालान के साथ कर संदत्त किया जाता है, वहां, उस मास के अंत से, जिसमें कर की कटौती की जाती है या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन शोध्य हो जाता है आय-कर या सात दिन के भीतर कर संदत्त करना होगा।

(2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न किसी कटौतीकर्ता द्वारा अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में काटी गई सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में -

(क) जहां आय या रुकन मार्च मास में जमा या संदत्त है तीस अप्रैल को या उसके पहले संदत्त की जाएगी; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उस मास के अंत में या उससे सात दिन के भीतर संदत्त की जाएगी, जिसमें -

(i) कटौती की गई है ; या

(ii) धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन आय-कर शोध्य है ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष मामले में, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 192 या धारा 194क या धारा 194घ या धारा 194ज के अधीन कर कटौती का तिमाही संदाय करने को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट अवधि में, अनुज्ञात होगा :-

सारणी

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत पर	तिमाही संदाय के तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	7 जुलाई
2.	30 सितंबर	7 अक्टूबर
3.	31 दिसम्बर	7 जनवरी
4.	31 मार्च	30 अप्रैल ।

ख- संदाय की ढंग

(4) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां कर किसी चालान के बिना केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संवत्त किया जाता है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या वेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कटौतीकर्ता इस प्रकार कर कटौती की रिपोर्ट और जो ऐसी राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी है केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में-

(क) उक्त मास के लिए कटौतीकर्ता द्वारा कर कटौती के संबंध में और उसकी रिपोर्ट महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को मास के अंत से दस दिन के भीतर प्ररूप सं० 24छ में विवरणी जमा करेगा ; और

(ख) अभिकरण द्वारा प्रत्येक कटौतीकर्ता की बाबत जिसने कर कटौती राशि जमा की है, द्वारा उत्पन्न संख्या (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् खाता पहचान संख्या कहा गया है) सूचित करेगा ।

(5) उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) डाटा को सुरक्षित रूप में रखने की प्रक्रिया, रूपाधिधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा संचलन सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट सूचना देने की ढंग के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी होगा ।

(6) (i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गया है, इस प्रकार कटौती या जमा किए गए कर की रकम उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण द्वारा केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा होगी ;

(ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित कर कटौती किसी इलेक्ट्रॉनिक आय-कर चालान के साथ जमा होगी ।

(7) इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषण का वही अर्थ होगा यदि रकम -

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है ; या

(ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेषित की जाती है !

(8) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है इस नियम के उपबंध आय-कर (.....संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रस्थापन से पहले इस नियम के उपबंध तत्काल लागू थे समझा जाएगा।

धारा 203 के अधीन स्रोत पर काटे गए कर का प्रमाणपत्र देना

31.(1) किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर काटे गए कर का प्रमाणपत्र अध्याय 17ख के अनुसरण में या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन कर्मचारी के निमित्त नियोजक द्वारा कर के संदाय का प्रमाणपत्र निम्नलिखित में-

(क) यदि कर कटौती या संदाय धारा 192 के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16 में होगा ; और

(ख) यदि कर कटौती या संदाय अध्याय 17ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16क में होगा ;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-

(क) कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का विधिमाम्य स्थायी खाता संख्या (पैन) ;

(ख) कटौतीकर्ता का विधिमाम्य कर कटौती और संग्रहण लेख संख्या (टैन) ;

(ग) (i) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, चालान को पेश किए जाने के बिना कर कटौती को जहां जमा किया जाता है खाता पहचान संख्यांक या संख्यांक ;

(ii) बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांक ।

(घ) (i) स्रोत पर कर कटौती के संबंधित त्रैमासिक विवरणी की प्राप्ति संख्या जिसे नियम 31क के उपबंधों के अनुसरण में दिया गया है ;

(ii) स्रोत पर कर कटौती के लिए खंड (i) में जहां आय 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रामाण्य है निर्दिष्ट विवरणी की दशा में सभी संबंधित तिमाही विवरणियों के प्राप्ति संख्यांक ;

(3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाणपत्र, यथास्थिति, कर्मचारी या संदायकर्ता को, जो स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के अनुसार हैं और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय द्वारा देने होंगे।

सारणी

क्रम सं.	प्ररूप सं.	नियतकालिक	देय तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16	वार्षिक	वित्तीय वर्ष जिसमें आय संदाय की गई है और कर कटौती की गई है के तत्काल अनुगामी वित्तीय वर्ष के मई की 31 तारीख तक
2.	16क	तिमाही	स्रोत पर कर कटौती की विवरणी नियम 31क के अधीन देने के लिए निश्चित तारीख से पंद्रह दिन के भीतर

(4) यदि कोई निर्धारित वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजक द्वारा नियोजित किया जाता है, प्रत्येक नियोजक द्वारा ऐसे निर्धारित वर्ष जब वह नियोजित किया गया था की संबद्ध अवधि का प्ररूप सं. 16 में भाग क में प्रमाणपत्र

जारी करेगा और भाग ख प्रत्येक नियोजक द्वारा या निर्धारित के विकल्प पर अंतिम नियोजक द्वारा जारी हो सकेगा।

(5) कटौतीकर्ता प्ररूप सं. 16 या प्ररूप सं. 16क में प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा; यदि कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति के लिए जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित है।

(6) (i) जहां कोई प्रमाणपत्र प्ररूप सं. 16 में दिया जाना है कटौतीकर्ता का यह विकल्प होगा कि ऐसे प्रमाणपत्रों पर प्राधिकृत करने को अंकीय हस्ताक्षर का उपयोग कर सकेगा।

(ii) खंड (i) के अधीन जारी प्रमाणपत्रों की दशा में कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन किया है ;

(ख) एक बार प्रमाणपत्र अंकीय हस्ताक्षरित किया जाता है प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु में परिवर्तन संशोधन योग्य नहीं हैं ; और

(ग) प्रमाणपत्र पर एक नियंत्रक संख्या होगी और ऐसे प्रमाणपत्रों की लॉग कटौतीकर्ता द्वारा रखी जाएगी।

(7) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर कटौती के लिए दिया जाता है इस प्रकार दिए गए प्ररूप के नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानो वे आयकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन के ठीक पहले से ही थे।

स्पष्टीकरण:- इस नियम और नियम 27थ के प्रयोजन के लिए, चालान पहचान संख्या से बैंक शाखा की मूल संस्थापिका विवरणी पर समाविष्ट संख्या अभिप्रेत है जहां कर जमा किया जाता है बैंक द्वारा जिस तारीख को कर जमा किया जाता है और चालान का क्रम संख्या दी जाती है।

धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन कर कटौती की विवरणी

31क. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती के लिए उत्तरदायी है, धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित तिमाही विवरणियां देगा, अर्थात् :-

(क) धारा 192 के अधीन कर कटौती के विवरणी प्ररूप सं. 24थ में ;

(ख) धारा 193 से धारा 196घ के अधीन कर कटौती की विवरणी -

(i) कटौतीकर्ता, जो किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी या निवासी किन्तु सामान्यतः निवासी नहीं हैं होने के कारण अनिवासीय भारतीय है प्ररूप 27थ में ; और

(ii) सभी अन्य कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्ररूप 26थ में।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक देनी होगी:-

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष के तारीख को समाप्त होने वाली तिमाही	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई
2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 अक्टूबर
3.	31 दिसम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी

4.	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसके लिए कटौती की गई है, के तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 15 मई
----	----------	---

(3) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी को निम्नलिखित ढंग में से किसी एक में दी जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) उचित प्ररूप में विवरणी देनी होगी ;

(ख) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में, प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलेक्ट्रॉनिक विवरणी देनी होगी ।

(ii) जहां,-

(क) कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है ; या

(ख) कटौतीकर्ता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है ; या

(ग) कटौतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्ण वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् धारा 44कख के अधीन अपने लेखों का संपरीक्षा कराना अपेक्षित है ; या

(घ) वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के किसी विवरणी में कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के अभिलेखों की संख्या बीस या अधिक है,

कटौतीकर्ता खंड (i) के बंद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी देगा ।

(iii) जहां कटौतीकर्ता खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उसके विकल्प पर, खंड (i) के बंद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में परित्त करेगा या परित्त करेगा ।

(4) कटौतीकर्ता कर कटौती की विवरणी तैयार करते समय, -

(i) विवरणी में अपना कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (पैन) कोट करेगा ;

(ii) विवरणी में अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) सिवाय उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है, कोट करेगा ;

(iii) सभी कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता संख्या कोट करेगा ;

(iv) सरकार को कर संचाल की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, खाता पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी है, देगा ।

(5) महानिदेशक आयकर (प्रणाली) विवरणी को देने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी को देने के संबंध में दिनप्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(6) जहां स्रोत पर कर कटौती की कोई विवरणी 1 अप्रैल 2010 से पहले कर कटौती के लिए दी जाती है इस नियम और नियम 27क के उपबंध नाने से आयकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन या शेष से, तत्काल पहले वे थे लागू होंगे ।

नियम 206ग की उपधारा (3) के परंतु के अधीन कर संग्रहण की विवरणी

31कक. (1) प्रत्येक संग्रहकर्ता धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के उपबंधों के अनुसरण में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्ररूप 27ख में तिमाही विवरणी परित्त करेगा या परित्त करेगा ।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक देनी होगी,-

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष के तारीख को समाप्त होने वाली तिमाही	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई
2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 अक्टूबर
3.	31 दिसम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी
4.	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसके लिए कटौती की गई है, के तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 15 मई

(3) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी को निम्नलिखित ढंग में से किसी एक में दी जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) उचित प्ररूप में विवरणी देनी होगी ;

(ख) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में, प्ररूप 27क में विवरणी के स्थापन के साथ इलेक्ट्रॉनिक विवरणी देनी होगी ।

(ii) जहां -

(क) कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है ; या

(ख) कटौतीकर्ता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है ; या

(ग) कटौतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्व वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् धारा 44कख के अधीन अपने लेखों का संपरीक्षा करना अपेक्षित है ; या

(घ) वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के किसी विवरणी में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के अभिलेखों की संख्या बीस या अधिक है,

कटौतीकर्ता खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी देगा ।

(iii) जहां कटौतीकर्ता खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उसके विकल्प पर, खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में परिलक्षित करेगा या परिलक्षित कराएगा ।

(4) कटौतीकर्ता कर कटौती की विवरणी तैयार करते समय, -

(i) विवरणी में अपना कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) कोट करेगा ;

(ii) विवरणी में अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) सिवाय उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है, कोट करेगा ;

(iii) सभी कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता सं. कोट करेगा

(iv) सरकार को कर संधाय की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, खाता पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी है देगा ।

(5) महानिदेशक आयकर (प्रणाली) विवरणी को देने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी को देने के संबंध में दिनप्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(6) जहां स्रोत पर कर कटौती की कोई विवरणी 1 अप्रैल 2010 से पहले कर कटौती के लिए दी जाती है इस नियम के उपबंध मानने के आचकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन या लोप से तत्काल पहले के जमा होंगे।

(ख) नियम 37क का लोप किया जाएगा।

(ग) नियम 37गक और नियम 37घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“ धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण को सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग

37गक

(1) सरकार के किसी कार्यालय द्वारा धारा 206ग की उपधारा (1) या उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसरण में संगृहीत सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में -

(क) उसी तारीख को, जिस तारीख किसी आयकर चालान को संदत्त किए बिना इस प्रकार कर संदत्त किया जाता है ; और

(ख) जहां कर किसी आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है वहां उस मास की अंत से जिसमें कर कटौती की जाती है सात दिन के भीतर संदत्त किया जाएगा।

(2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न संग्रहकर्ता द्वारा धारा 206ग की उपधारा (1) या उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसरण में संगृहीत सभी राशियां केन्द्रीय सरकार को मास की अंतिम तारीख जिसकी ऐसा संग्रहण किया जाता है से एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करना होगा।

(3) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां किसी चालान को पेश किए बिना केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में कर संदत्त किया जाता है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इस प्रकार संगृहीत कर की रिपोर्ट संग्रहकर्ता और जो केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में ऐसी राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है,

(क) महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को संग्रहकर्ता द्वारा संगृहीत कर के संबंध में और इस मास के लिए उसे रिपोर्ट मास की समाप्ति से दस दिन के भीतर प्ररूप 24छ में विवरणी जमा करेगा ; और

(ख) राशि जिसे जमा किया गया था के संबंध में, प्रत्येक संग्रहकर्ताओं को अभिकरण द्वारा व्युत्पन्न संख्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् खाता पहचान सं० कहा गया है) सूचित करेगा।

(4) उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए, महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) डाटा को सुरक्षित रूप में रखने की प्रक्रिया, रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा डाटा के पारण को सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट सूचना देने के ढंग के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी होगा।

(5) (i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गया है इस प्रकार कटौती या जमा किए गए कर की रकम धारा 206ग की उपधारा (1) या उपधारा (1ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में, उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण द्वारा जमा होगी ;

(ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित कर कटौती किसी इलेक्ट्रॉनिक आय-कर चालान के साथ जमा होगी।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषण का वही अर्थ होगा यदि रकम -

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है ; या

(ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेषित की जाती है ।

(7) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है इस नियम के उपबंध आयकर (.....संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन से पहले माने इस नियम के उपबंध तत्काल लागू थे ।

धारा 206ग(5) के अधीन स्रोत पर संगृहीत कर का प्रमाणपत्र

37घ (1) स्रोत पर कर संग्रहण का प्रमाणपत्र धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप 27घ में संग्रहकर्ता द्वारा दिया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-

(क) कलेक्टी व्यक्ति का विधिमन्त्र स्थायी खाता सं. (पैन) ;

(ख) संग्रहकर्ता का विधिमन्त्र कर कटौती और संग्रहण लेखा सं. (टैन) ;

(ग) (1) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में वाजान को पेश किए जाने के बिना कर कटौती को जहां जमा किया जाता है वहां पहचान संख्यांक या संख्यांक ;

(11) बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांक ।

(घ) स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधित तिमाही विवरणी की प्राप्ति सं. जिसे नियम 31कक के उपबंधों के अनुसरण में दिया गया है ;

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 27घ में प्रमाणपत्र नियम 31कक के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट स्रोत पर कर संग्रहण की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर कलेक्टी को देनी होगी ।

(4) कटौतीकर्ता प्ररूप सं. 27घ में प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा यदि कलेक्टी का इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित की जाती है ।

(5) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर संग्रहण के लिए दिया जाता है इस प्रकार दिए गए प्ररूप नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानो वे आयकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन के ठीक पहले से ही थे ।

(घ) परिशिष्ट 2 में,—

(i) प्ररूप सं० 16 और प्ररूप सं० 16क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :

“प्ररूप सं. 16

[नियम 31(1)(क) देखिए]

भाग क

वेतन से खोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र			
नियोजक का नाम और पता		कर्मचारी का नाम और पता	
कटौतीकर्ता का पैन		कर्मचारी का पैन	
कटौतीकर्ता का पैन		कर्मचारी का पैन	
सी.आई.टी. (टीडीएस) पता..... शहर..... पिन कोड.....		निर्धारण वर्ष	अवधि से तक

तक्षेप में खोत पर कटौती किया गया कर

तिमाही	धारा 203 की व्यवस्था (3) के अधीन टीडीएस से मूल विजय की प्राप्ति संख्या	कर्मचारी से कटौती किए गए रकम	संबंधित कर की	कर्मचारी से संबंधित जमा/विप्रेषित किए गए कर की रकम
तिमाही 1				
तिमाही 2				
तिमाही 3				
तिमाही 4				
कुल				

भाग ख (टिप्पण 1 देखें)

संवत्त वेतन और किसी अन्य आय और काटे गए कर का व्यौरा			
1.	सकल वेतन		
(क)	धारा 17(1) में अंतर्निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	रु.	
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खख के अनुसार, जहां लागू हो)	रु.	
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खख के अनुसार, जहां लागू हो)	रु.	
(घ)	कुल	रु.	
2.	घटाइए : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते	रु.	
	भत्ता	रु.	

			रु.	रु.	
3	अतिशेष (1-2)			रु.	
4	कटौतियाँ				
	(क) मनोरंजन भत्ता		रु.		
	(ख) नियोजन पर कर		रु.		
5	4(क) और (ख) का योग			रु.	
6	'वेलन' शीर्ष के अधीन प्रसार्य आय (3-5)				रु.
7	जोड़े : कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय				
	आय	रुपर			
				रु.	
8	सकल कुल आय (6+7)				रु.
9	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
	(क) धारा 80ग, धारा 80गग और धारा 80गघ				
	(ख) धारा 80ग			सकल रकम	कटौती योग्य रकम
	(i)			रु.	
	(ii)			रु.	
	(iii)			रु.	
	(iv)			रु.	
	(v)			रु.	
	(vi)			रु.	
	(vii)			रु.	
	(ख) धारा 80गग			रु.	रु.
	(ग) धारा 80गघ			रु.	रु.
	टिप्पण : 1. धारा 80ग के अधीन कुल कटौती योग्य रकम एक लाख रुपर से अधिक नहीं होगी ।				
	2. तीन धाराएं अर्थात् 80ग, 80गग और 80गघ के अधीन कटौती योग्य कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।				
	(ख) अध्याय 6-क के अधीन अन्य धाराएं (उदाहरणार्थ, 80ड, 80छ) +				
			सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
	(i) धारा.....		रु.	रु.	रु.
	(ii) धारा.....		रु.	रु.	रु.
	(iii) धारा.....		रु.	रु.	रु.
	(iv) धारा.....		रु.	रु.	रु.

	(v) धारा.....	रु.	रु.	रु.
10	अध्याय 6क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग			रु.
11	कुल आय (8-10)			रु.
12	कुल आय पर कर			रु.
13	शिक्षा उपकर @ 3 % (क्रम सं0 12 में संगणित कर पर)			रु.
14	सदेय कर (12 + 13)			रु.
15	घटाए धारा 89 के अधीन राहत (बोरा संलग्न करें)			रु.
16	सदेय कर (14-15)			रु.

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री रहा/रही हूँ यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि रुपए [केवल (शब्दों में रुपए)] की राशि की कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संवत् की गई है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुरस्कों दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।		जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर	
स्थान			
तारीख		कर को कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर	
पदनाम		पूरा नाम	

टिप्पणी :

1. यदि वर्ष के दौरान कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है तो प्रत्येक नियोजक उस अवधि से संबंधित प्रारूप सं0 16 में प्रमाणपत्र का भाग-क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था। निर्धारिती के विकल्प पर भाग-ख प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा।
2. सरकारी कटौतीकर्ता उपाबंध-क संलग्न करें, यदि कर को आय-कर चालान प्रस्तुत किए बिना संवत् किया गया है और उपाबंध-ख संलग्न करें यदि कर को आय-कर चालान के साथ संवत् किया गया है।
3. गैर सरकारी कटौतीकर्ता उपाबंध-ख संलग्न करें।
4. कटौतीकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का धना प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरण के विषय में है।
5. यह प्रारूप, केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसमें पश्चात् कटौती किए गए कर के संबंध में लागू होगा।

प्ररूप सं. 16क

[नियम 31(1)(ख) देखिए]

देतान से स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र									
कटौतीकर्ता का नाम और पता					कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम				
कटौतीकर्ता का पैन		कटौतीकर्ता का टैक		कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन					
सी.आइ.टी. (टीडीएस)				निर्धारण वर्ष		अवधि			
पता									
शहर				पिन कोड		से		तक	
संक्षेप में संदाय									
संदाय/जमा की गई राशि				संदाय की प्रकृति			संदाय जमा की तारीख		
कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संक्षेप में कटौती किया गया कर									
विभागी	धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन टीडीएस के भुगतान विवरण की प्राप्ति संख्यांक	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटे गए कर की रकम	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा/विप्रेषित कर की रकम						
I. कटौती किए गए और बालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौसा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान तब ब्यौसा उपलब्ध कराया जाए)									
क्रम सं०	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर	बही पहचान संख्यांक (बीआईएन)							
		प्ररूप सं० 24छ की प्राप्ति संख्या	बही समायोजन विवरण में डीडीओं अनुक्रम संख्यां	मिनी	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया	(दिन/मास/वर्ष)			
कुल									

II. कटौती किए गए और बालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौसा

(कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार्षिक उपलब्ध कराया जाए)					
क्रम सं०	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर	चालान पहचान संख्यांक (सीआईएन)			
	(रु०)	बैंक शाखा का वीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक	
कुल					

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि रुपए [केवल (हब्बों में रुपए)] की ससि की कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संवत् की गई है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।		जो (प्रदानकर्ता) की हैसियत में कार्य कर
स्थान		
तारीख	कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर	
प्रदानकर्ता	पूरा नाम	

टिप्पण

- सरकारी कटौतीकर्ता, मद I में जानकारी दें, यदि कर को आय-कर चालान के प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया जाता है और यदि कर को आय-कर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो मद II में जानकारी दें।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, मद II में पूर्ण जानकारी दें।
- मद I और मद II में, टीडीएस के लिए स्तंभ में, टीडीएस अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर की कुल रकम दें।
- कटौतीकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारित की टीडीएस विवरण के विषय में है।
- यह प्रत्येक केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उससे पश्चात् कटौती किए गए कर के संबंध में लागू होगा।

(1) प्रत्येक सं० 24 के पश्चात् निम्नलिखित प्रत्येक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

“प्रारूप सं० 24छ”

[नियम 30 और नियम 37 तक देखें]

टीडीएस/टीसीएस बही सप्ताहोत्तम विवरण

दिन मास वर्ष को समाप्त होने वाले मास के लिए अंतरण वाउचर

--	--	--	--	--	--

1. लेखा अधिकारी का ब्योरा	
लेखा अधिकारी पहचान संख्या (एआईएन)	
लेखा कार्यालय का नाम*	
लेखा कार्यालय का पता	
पता 1*	
पता 3	
नगर*	
पिन कोड*	
एसटीडी कोड फोन नं०*	

पीएओ रजिस्ट्रीकरण संख्या (केन्द्रीय अभिलेख अनुसूचक अभिकरण द्वारा दी गई)

पता 2

पता 4

राज्य*

ई मेल आईडी*

1. उत्तरदायी व्यक्ति का ब्योरा (टिप्पण 1 देखें)	
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम*	
उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम*	
उत्तरदायी व्यक्तियों का पता*	
पता 1*	
पता 3	
नगर*	
पिन कोड*	
एसटीडी कोड फोन नं०*	

पीएओ रजिस्ट्रीकरण संख्या (केन्द्रीय अभिलेख अनुसूचक अभिकरण द्वारा दी गई)

पता 2

पता 4

राज्य*

ई मेल आईडी*

उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाईल नं०

3. विवरण का प्रकार*

5ग टीडीएस-अनिवासी (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस

क्रम सं०*	डीडीओ (केन्द्रीय अभिकरण द्वारा दी गई)	रजिस्ट्रार सं० अनुक्षण	डीडीओ कोड	डीडीओ का टैन*	डीडीओ का नाम*	पता 1*	पता 2	पता 3	पता 4	नगर*	राज्य*	पिनकोड*	ईमेल आइडी	कटीती गया संग्रहित (वेस कर अधिभार शिक्षा उपकरण)*	सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए)*
181		182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
	कुल														

5घ टीसीएस (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस

क्रम सं०*	डीडीओ (केन्द्रीय अभिकरण द्वारा दी गई)	रजिस्ट्रार सं० अनुक्षण	डीडीओ कोड	डीडीओ का टैन*	डीडीओ का नाम*	पता 1*	पता 2	पता 3	पता 4	नगर*	राज्य*	पिनकोड*	ईमेल आइडी	कटीती गया संग्रहित (वेस कर अधिभार शिक्षा उपकरण)*	सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए)*
196		197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
	कुल														

6 संक्षेप में विवरण :

सूचिना डीडीओ की गणना	
मद 5 में प्रविष्टियों की संख्या	
रिपोर्ट की गई कुल टीडीएस/टीसीएस की रकम	
सरकारी खाते एजी/प्रसीसीए में विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस	

मैं.....

स्थान :

तारीख :

सत्यापन

सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विवरणियाँ सही और पूर्ण हैं।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम (टिप्पण 1 देखें)

टिप्पण

1. उत्तरदायी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे इस प्ररूप को भरने के लिए वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) या कोषाधिकारी(टीओ) या चेक आहरण और सवितरण अधिकारी ने उत्तरदायी बनाया है ।
2. समी प्रकार के भुगतान टीडीएस-वेतन (24थ) टीडीएस-गैर वेतन (26थ) टीडीएस अविवासी (27थ) से संबंधित भुगतानों को उसी प्ररूप में प्रस्तुत किया जाए ।
3. या तो डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं० या डीडीओ कोड प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।
4. प्रत्येक मास में अधिकतम चार प्रविष्टियां (कटौतीवार की प्रकृति) प्रत्येक मास में डीडीओ के अनुसार हो सकती है ।
5. यह प्ररूप केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए/संग्रह किए गए कर की बाबत लागू होगा ।
6. चिन्हित क्षेत्र जैसे* आज्ञापक हैं ।
7. मंत्रालयों का ब्यौरा ।

क्रम सं०	मंत्रालय
1.	सिविल
2.	रेलवे
3.	रक्षा
4.	दूरसंचार
5.	डाक

6 उपमंत्रालय के विवरण (सिविल मंत्रालय के मामले में)

क्रम सं०	उप मंत्रालय का नाम	क्रम सं०	उप मंत्रालय का नाम
1	ऊर्जा	29	नदीन और नदीकरणीय ऊर्जा
2	परमाणु ऊर्जा	30	ग्रामीण विकास और पंचायती राज
3	उर्वरक	31	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
4	रसायन और पेट्रोसायन	32	अंतरिक्ष
5	नागर विमानन और पर्यटन	33	इस्पात
6	कोयला	34	खान
7	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	35	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
8	वाणिज्य और वस्त्र	36	जनजातीय कार्य
9	पर्यावरण और वन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	37	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
10	विदेश और प्रवासी भारतीय कार्य	38	गांत परिवहन और सड़क परिवहन और राजमार्ग
11	वित्त	39	शहरी विकास, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन
12	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	40	जल संसाधन
13	केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क-बोर्ड	41	राष्ट्रपति सचिवालय

14	नियंत्रक सहायता लेखा और संपरीक्षा	42	लोक सभा सचिवालय
15	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	43	राज्य सभा सचिवालय
16	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	44	निर्वाचन आयोग
17	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	45	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन
18	गृह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	46	चंडीगढ़ प्रशासन
19	मानव संसाधन विकास	47	द्वादश और नागर हवेली
20	उद्योग	48	गोवा दमण और दीव
21	सूचना और प्रसारण	49	लक्षद्वीप
22	दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	50	पांडिचेरी प्रशासन
23	श्रम	51	वैतन और लेखा अधिकारी (संपरीक्षा)
24	विधि और न्याय और कंपनी कार्य	52	गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत
25	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	53	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार
26	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	54	अन्य
27	योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन		
28	विद्युत		

7. राज्यों का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2	आन्ध्र प्रदेश
3	अरुणाचल प्रदेश
4	असम
5	बिहार
6	चंडीगढ़
7	छत्तीसगढ़
8	द्वादश और नागर हवेली
9	दमण और दीव
10	दिल्ली
11	गोवा
12	गुजरात
13	हरियाणा
14	हिमाचल प्रदेश
15	जम्मू-कश्मीर

16	झारखंड
17	कर्नाटक
18	केरल
19	लक्षदीप
20	मध्य प्रदेश
21	महाराष्ट्र
22	मणिपुर
23	मेघालय
24	मिजोरम
25	नागालैंड
26	उड़ीसा
27	पुडुचेरी
28	पंजाब
29	राजस्थान
30	सिक्किम
31	तमिलनाडु
32	त्रिपुरा
33	उत्तर प्रदेश
34	उत्तराखंड
35	पश्चिमी बंगाल

(iii) प्ररूप सं० 27घ के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :

“प्ररूप स. 27घ
[नियम 37घ देखिए]

स्रोत पर संग्रहीत कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अधीन प्रमाण-पत्र			
संग्रहण का नाम और पता		कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम	
संग्रहण का पैना	संग्रहणकर्ता का टैन	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैना	
सी.आई.टी.(टीडीएस)		निर्धारण वर्ष	अवधि
पता.....			
शहर.....पिन कोड.....			से तक
संक्षेप में प्राप्ति			
प्राप्त/विकलित रकम		प्राप्ति की प्रकृति	
संक्षेप स्रोत पर संग्रहीत कर			
तिमाही	धारा 206ग की उपधारा (3) के परसुक के अधीन टीसीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहीत कर की रकम	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा/विप्रेषित कर की रकम
1. संग्रहीत कर और बही प्रविष्टि के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर (संग्रहणकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहीत और जमा किए गए कर का ब्यौरा भुगतान वार उपलब्ध कराया जाए)			
क्रम सं०	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर	बही पहचान संख्यांक (बीआईएन)	
		पीएओ/सीडीडीओ/टीओ द्वारा दी गई बीएएमएम संख्या	बही समायोजन विवरण में अनुक्रम संख्या
			वही तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)
2. संग्रहीत कर और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (संग्रहणकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहीत और जमा किए गए कर की भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)			

क्रम सं०	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति जमा किया गया कर	चालान पहचान संख्यांक (सीआईएन)											
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड				वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)				चालान क्रम संख्यांक			
कुल													

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, वह प्रमाणित करता/करती हूं कि रुपए [केवल (शब्दों में रुपए)] की शक्ति का स्रोत पर संग्रह किया गया है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया गया है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।	
स्थान	
तारीख	कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम	पूरा नाम

टिप्पण

- सरकारी कटौतीकर्ता, मद I में जानकारी दें यदि कर को आय-कर चालान के प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो मद II में जानकारी दें।
- गैर सरकारी संग्रहणकर्ता मद II में पूर्ण जानकारी दें।
- मद I और मद II में, टीसीएस के लिए स्तंभ में, टीसीएस अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर की कुल रकम दें।
- संग्रहणकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती है टीसीएस विवरण के विषय में है।
- यह प्रारूप केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए कर के संबंध में लागू होगा।

अधिसूचना सं० 41.. /2010/

[का.सं. 142/27/2009-SO(TPL)]

(1) ज 21

(राजेश कुमार भूत)

निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० 869(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना

का.आ 1211(अ) तारीख 21-05-2010 द्वारा आय-कर (संशोधन) नियम, 2010 अंतिम बार संशोधित किए गए।